

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)
एन्.एच. बाई पास,
पी बी नं.2277, पालारिवट्टम,
कोचीन - 682 025
इ-मेल : sbestt@indianspices.com

फ़ा.नं. एस बी/क्यू ई एल/दिल्ली/प्रशा./II/2017

दिनांक: 11 दिसंबर, 2017.

निविदा सूचना

स्पाइसेस बोर्ड, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला(क्यू ई एल) तथा प्रादेशिक कार्यालय (आर ओ) में, जिनके पते नीचे दिए जाते हैं, ठेके आधार पर कुशल व अकुशल व्यक्तियों को प्रदान करने हेतु रजिस्ट्रीकृत प्रतिष्ठित व अनुभवी एजेंसियों से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:

स्पाइसेस बोर्ड
गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला
सेक्टर ए-7, प्लोट नं-5
नरेला, दिल्ली-110040

स्पाइसेस बोर्ड
प्रादेशिक कार्यालय
जे-54, लजपत नगर - III
नई दिल्ली - 110024

निविदाएं "ठेके आधार पर कुशल व अकुशल व्यक्तियों के लिए निविदाएं" ऐसा ऊपर लिखे मोहरबंद लिफाफे में निर्धारित अंतिम तारीख को या उससे पहले वैज्ञानिक-'सी', स्पाइसेस बोर्ड, क्यू ई एल, नरेला, दिल्ली के पते पर प्राप्त होना चाहिए।

अपेक्षित ठेका कार्मिकों का विवरण नीचे दिया है :

तालिका-क

क्रम सं.	विवरण	अपेक्षित व्यक्तियों की सं.	स्थान
1	इलेक्ट्रीशियन व ऑफिस बॉय (अधिमानत: इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा धारक)	एक	क्यू ई एल, दिल्ली
2	सुरक्षा गार्ड	चार, (8 घंटे काम)	क्यू ई एल, दिल्ली
3	हाउस कीपिंग कर्मी	दो	क्यू ई एल, दिल्ली
4	हाउस कीपिंग कर्मी	एक	प्रा.का.दिल्ली
5	अतिथि कक्ष रखवाला	दो	प्रा.का.दिल्ली

दरें कोट करनेकेलिए फ़ॉर्मेट :

श्रेणी	एन सी टी, दिल्ली के अद्यतन संशोधित दर के अनुसार न्यूनतम वेतन दर प्रति माह	श्रम शक्ति की कुल सं.	कुल वेतन प्रति माह 2x3	ई एस आई (नियोक्ता योगदान-जैसाकि लागू हो)	ई पी एफ़ (नियोक्ता योगदान-जैसाकि लागू हो)	एजेंसी सेवा शुल्क	कुल	जी एस टी जैसाकि लागू हो	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कुशल									
इलेक्ट्रीशियन व ऑफिस बॉय		1							
रसोइया व अतिथि कक्ष रखवाला		2							
अकुशल									
हाउस कीपिंग कर्मी		3							
सुरक्षा गार्ड		4							

ठेके की अवधि : 01-01-2018 से एक वर्ष

निविदा की प्राप्ति की अंतिम तारीख : 21-12-2017 को शाम के 5.00 बजे

निविदा के खोलने की तारीख व समय - 22-12-2017 को दोपहर बाद 3.00 बजे स्पाइसेस बोर्ड, गु.मू.प्र., नरेला, दिल्ली में एजेंसियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ।

एजेंसी द्वारा तैनात किए जानेवाले इलेक्ट्रीशियन व ऑफिस बॉय, सुरक्षा गार्ड, हाउस कीपिंग कर्मी तथा अतिथि कक्ष रखवाला के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व :

गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, दिल्ली के बिजली से संबन्धित सभी मामलों को ठीक करने तथा कार्यालय प्रभार द्वारा समय समय पर दिए जानेवाले सभी अन्य कार्यों को निपटाने का उत्तरदायित्व इलेक्ट्रीशियन व ऑफिस बॉय का रहेगा। उसे, रविवार, राष्ट्रीय छुट्टियों व पर्व के दिनों को छोड़कर सभी दिनों पर, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, दिल्ली में एक पूर्ण कालिक ऑफिस बॉय के रूप में भी काम करना होगा।

सुरक्षा गार्ड , रविवार, राष्ट्रीय छुट्टियों व पर्व के दिनों सहित सभी दिन, चौबीसों घंटे, चल व अचल संपत्तियों की सुरक्षा के लिए सभी प्रकार के सुरक्षा उपायों व प्रबन्ध के लिए उत्तरदाई होगा तथा मकान व प्रांगण सबकी सुरक्षा का भार लेगा।

हाउस कीपिंग कर्मी गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, दिल्ली व प्रादेशिक कार्यालय, दिल्ली में सभी प्रकार के सफाई-काम तथा प्रभारी कार्यालय द्वारा समय समय पर दिए जानेवाले अन्य काम के लिए उत्तरदाई होगा।

अतिथि कक्ष रखवाला अतिथि कक्ष का देखभाल करना, अतिथियों के लिए खाना तैयार करना व परोसना तथा प्रभारी कार्यालय अधिकारी, प्रादेशिक कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा समय समय पर दिए जानेवाले अन्य काम के लिए उत्तरदाई होगा।

स्पाइसेस बोर्ड, बिना कोई कारण बताए सभी या किसी भी निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

निविदाओं के खोलने की तारीख से 180 दिनों तक बोली वैध रहेगी।

भवदीय,

सचिव

निबन्धन व शर्तें

1. रुचि रखनेवाली एजेंसियां Secretary, Spices Board, Cochin-682025 के नाम पर निकाले गए डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में 3,000/- रुपए (तीन हजार रुपए मात्र) की ई एम डी के साथ सभी तरह से पूर्ण अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। कोई अलग निविदा दस्तावेज़ नहीं है।
2. एजेंसी को केन्द्र/राज्य सरकार या किसी मान्य संगठनों के लिए कम से कम दो वर्ष के लिए सुरक्षा सेवा प्रदान किए जाने का अनुभव होना चाहिए। निविदा के साथ ऐसे ग्राहकों का संपर्क विवरण भी दिया जाना चाहिए।
3. एजेंसी को निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ों की प्रतियां देनी होंगी:
 - i) ठेका श्रम (विनियमन व उत्सादन) अधिनियम, 1970 के तहत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र
 - ii) ई एस आई/ई पी एफ/आयकर/सेवाकर/जी एस टी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र
 - iii) कर विवरणी (टैक्स रिटर्न)की प्रति

निविदा के साथ उपर्युक्त दस्तावेज़ों की प्रस्तुति में चूक होने पर एजेंसी को अयोग्य माना जाएगा और ऐसे मामलों में, आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा तथा ई एम डी ज़ब्त किया जाएगा।

4. एजेंसी द्वारा तैनात किए गए इलेक्ट्रीशियन व ऑफिस बॉय, सुरक्षा गार्ड, हाउस कीपिंग कर्मी तथा अतिथि कक्ष रखवाले को काम के समय हमेशा सचेत और सतर्क रहना चाहिए। सुरक्षा में लापरवाही के कारण बोर्ड को होनेवाले किसी भी नुकसान के लिए एजेंसी को बाध्यता होगी और तैनात किए गए व्यक्तियों के स्वभाव तथा व्यवहार के लिए एजेंसी उत्तरदाई रहेगी ।
5. एजेंसी हर महीने के 10 तारीख को या उससे पहले तैनात किए गए व्यक्तियों को मासिक वेतन देगी और जब कभी बोर्ड की मांग होने पर बोर्ड को ऐसे भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करेगी । ठेकेदार मज़दूरों की ई पी एफ संख्या प्रस्तुत करेगा और स्पाइसेस बोर्ड गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, नरेला एवं प्रादेशिक कार्यालय, नई दिल्ली में तैनात व्यक्तियों की ओर से उनके नाम पर ई एस आई व ई पी एफ अंशदान के जमा किए जाने का प्रमाण, बिल प्रस्तुत करने से पहले या परवर्ती महीने के वेतन बिल के साथ प्रस्तुत करेगा। यदि ठेकेदार इस में असफल होता है तो अपेक्षित कागज़ात की प्रस्तुति तक ई एस आई व ई पी एफ अंशदान की राशि रोक ली जाएगी।
6. एजेंसी किसी उप-ठेकेदार को शामिल नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को ठेका अन्तरित नहीं करेगा। तैनात किए व्यक्तियों के पहचान-प्रमाण, कर्मियों की तैनाती के पहले बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा।
7. यहां पर उल्लिखित निबन्धन व शर्तों को एजेंसी द्वारा प्रारंभ किए जानेवाले ठेका करार का हिस्सा बनाएगा और इसे शामिल किया था, ऐसा माना जाएगा।
8. एजेंसी द्वारा लगाए गए किसी भी कर्मी को, यदि अवैध और असहनीय कार्यों में शामिल होते हुए पाए गए तो, ठेके को तुरंत समाप्त करने के अलावा उसे पुलिस के हवाले किया जाएगा या उसके खिलाफ जो उचित हो, वह कार्रवाई की जाएगी।
9. गार्ड के लिए एजेंसी को अपने खर्च पर यूनिफ़ॉर्म, लाठी, व्हिसल आदि प्रदान किए जाना है।
10. किसी व्यक्ति को किसी भी मामले में काम पर उपस्थित न होना पड़े या काम के लिए अनुपयुक्त पाया जाय तो एजेंसी को उसके लिए शीघ्र प्रतिस्थापन करना होगा । स्पाइसेस बोर्ड द्वारा जब कभी मांग किए जाने पर एजेंसी अतिरिक्त व्यक्तियों का प्रबंध करेगी।

11. एजेंसी समय-समय पर लागू श्रम कानूनों के अनुसार स्पाइसेस बोर्ड में तैनात अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी और इयूटी के घंटे / अवकाश / छुट्टियाँ आदि सहित अन्य लाभों के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगी। एजेंसी सुनिश्चित करेगी कि उनके गार्ड को सामाजिक सुरक्षा, सेवा-कर जो भी लागू होते हैं और सरकार / नगर पालिका द्वारा समय-समय पर लागू किए जानेवाले ऐसे अन्य वैधानिक आदेश सहित सभी श्रम कानून का अनुपालन करते हुए ई एस आई अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध अधिनियम जैसे सभी कानूनी अपेक्षाओं के अधीन शामिल किया गया है।
12. यह ठेका, जब तक स्पाइसेस बोर्ड द्वारा इसका आगे विस्तार नहीं किया जाता, ठेके के प्रारंभ होने के एक वर्ष के उपरांत स्वतः समाप्त हो जाएगा।
13. यदि एजेंसी का निष्पादन सन्तोषजनक नहीं है तो स्पाइसेस बोर्ड एक महीने की नोटिस देकर एजेंसी के साथ ठेका समाप्त करने का अधिकार रखता है।
14. किसी भी स्तर पर स्पाइसेस बोर्ड को तैनात किए गए कर्मियों के आवास, यात्रा, खाना, चिकित्सा, बीमा तथा अन्य किसी अपेक्षाओं की व्यवस्था के विषय में किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होगी।
15. सभी प्रकार के मामलों में, तैनात किए गए कर्मियों के "नियोक्ता" सेवा प्रदान करनेवाली एजेंसी होगी।
16. इस ठेके की समाप्ति पर या अन्यथा समाप्त होने के मामले में, एजेंसी द्वारा तैनात कर्मियों को किसी भी आमेलन के लिए कोई दावा नहीं होगा और न ही मसाले बोर्ड में नियमित / अन्यथा स्थिति में आमेलन के लिए कोई छूट होगी। ठेकेदार, तैनात किए कर्मियों को इस बात से अवगत कराएगा।
17. इयूटी के दौरान, तैनात किए गए व्यक्तियों की तबीयत खराब होने या दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले में, संबन्धित व्यक्ति को उचित चिकित्सा सहायता देने की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।
18. किसी व्यक्ति के निष्पादन सन्तोषजनक न पाये जाने पर एजेंसी को अधोहस्ताक्षरी को सूचना देते हुए ऐसे व्यक्तियों के प्रतिस्थापन का प्रबन्ध तुरंत करना होगा।
19. सफल एजेंसी को अपने खर्च पर 200/- रुपए के स्टैंप पेपर में एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) बनाना होगा।
20. एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी शिफ्टों में गार्ड की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति हो। यदि किसी भी शिफ्ट में, रात के शिफ्ट सहित, किसी गार्ड की कमी पाई गई तो संस्था की क्षति व नुकसान के रूप में अवधि के दौरान प्राप्त बिल से अनुपस्थित गार्ड के भुगतान की वसूली की जाएगी।

SPICES BOARD
 (Ministry of Commerce & Industry)
 NH By pass,
 PB No. 227, Palarivattom,
 Cochin – 682 025
 Tel: 0484-233610-616
 Email: sbestt@indianspices.com

File No. SB/QEL/Delhi/Admin/1/2017

Dated: 11th December 2017.

QUOTATION NOTICE

Quotations are invited from registered reputed and experienced AGENCIES for providing skilled and unskilled persons **ON CONTRACT BASIS** at SPICES BOARD, Quality Evaluation Laboratory (QEL) & Regional Office (RO) located at the following addresses.

**SPICES BOARD
 QUALITY EVALUATION LABORATORY
 SECTOR A-7, PLOT NO. 5
 NARELA, DELHI-110040**

**SPICES BOARD
 REGIONAL OFFICE
 J-54, LAJPAT NAGAR-III
 NEW DELHI- 110024**

Quotations in sealed envelope superscribed as “Quotation for Skilled & unskilled persons on Contract basis” should be addressed to Scientist-‘C’, Spices Board, QEL, Narela, Delhi on or before the last date prescribed.

The details of the contract personnel required are given below:

Table-A

Sr No.	Description	Required no. of Persons	Location
1	Electrician cum Office boy (Preferably a diploma holder in Electrical)	1 No.	QEL, Delhi
2	Security Guard	4 Nos. (8 hr duty)	QEL, Delhi
3	House Keeping Personnel	2 Nos.	QEL, Delhi
4	House Keeping Personnel	1 No.	RO, Delhi
5	Guest room care taker	2 Nos.	RO, Delhi

Format for quoting the rates:

CATEGORY	RATES OF MINIMUM WAGES PER MONTH AS PER RECENT REVISED RATES ORDER OF NCT OF DELHI	TOTAL NUMBER OF MAN-POWER	TOTAL WAGES PER MONTH (2X3)	ESI (Employer contribution as applicable)	EPF (Employer contribution as applicable)	AGENCY SERVICE CHARGES	TOTAL	GST AS APPLICABLE	GRAND TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SKILLED									
ELECTRICIAN CUM OFFICE BOY		1							
COOK CUM CARE TAKER OF GUEST HOUSE		2							
UNSKILLED									
HOUSE KEEPING		3							
SECURITY GUARD		4							

Period of contract – 1 year beginning from 01-01-2018

Last date of receipt of Quotation – **21/12/2017 at 5 PM**

Date and time of opening of quotation – 22/12/2017 at 3 PM in presence of representatives of Agencies at Spices Board, QEL, Narela, Delhi.

Duties and responsibilities of Electrician cum Office boy, Security guard, House keeping personnel & Guest room care taker deployed by the Agency:

The Electrician cum Office boy shall be responsible for the rectification of all the electrical related issue and all other works assigned by the office in charges from time to time in QEL, Delhi. He also has to work as full time Office boy in QEL, Delhi on all days excluding Sundays, National holidays and Festival days.

The Security Guard shall be responsible for all the security measures and arrangements to safeguard the movable and immovable property and take charge of the entire security of the building and premises round the clock on all days including Sundays, National holidays and Festival days.

The House keeping personnel shall be responsible for all the cleaning works and all other works assigned by the Officer in Charges from time to time in QEL, Delhi & RO, New Delhi.

Guest room care taker shall be responsible for taking care of the guest rooms, cooking & serving food to the guests and all other works assigned by the office in charge from time to time RO, New Delhi.

Spices Board reserves its right to reject all or any of the quotation without assigning any reason.

The bid shall remain valid for 180 days from the date of opening of the quotations.

Yours faithfully,

SECRETARY

Terms and Conditions

1. Interested Agencies may give their proposal complete in all respects along with EMD of Rs.3,000 (Rupees three thousand only) by means of Demand Draft drawn in favour of Secretary, Spices Board, Cochin – 682 025. There is no separate tender document.
2. The Agency should have experience in providing security service to the Central/State Govts or any reputed organizations for at least two years. Contact details of such clients shall be given along with quotation.
3. The Agency needs to give copies of the following documents along with quotation.
 - i) Registration certificate under Contract Labour (R & A) Act, 1970
 - ii) ESI/EPF/Income Tax/Service Tax/GST Registration Certificates
 - iii) Copy of the Tax Return

Failure in submitting the above documents along with the quotation will disqualify the Agency, and in such cases, no further correspondence will be made and the EMD will be forfeited.

4. The Electrician cum office boy, Security Guard, Housekeeping personnel and Guest room care taker deployed by the agency should be always alert and vigilant while on duty. The agency will be liable for any losses to the Board due to lapses in security and shall be responsible for the conduct and behavior of persons deployed.
5. The agency shall pay monthly salary to the persons deployed on or before 10th of every month and proof of such payment shall be submitted to the Board whenever the Board desires so. Contractor shall submit workers EPF number and proof of having deposited the amount of ESI & EPF contributions towards the persons deployed at Spices Board QEL Narela & R.O, New Delhi in their respective names before submitting the bill or along with the wages bill for the subsequent month. In case the contractor fails to do so, the amount towards ESI & EPF contribution will be withheld till submission of required document.
6. The agency shall not engage any sub-contractor or transfer the contract to any other person. The ID proof of the persons deployed shall be submitted to the Board before deployment of the personnel.
7. The terms and conditions contained herein shall form part of and shall be taken as if they were included in contract agreement to be entered into by the agency.
8. Any personnel engaged by the agency, if found indulging in illegal and intolerable activities will be handed over to the police or any other action deemed fit against will be taken besides termination of the contract immediately.
9. The agency has to provide uniforms, lathis, whistle etc to the guards at their expense.

10. The agency shall be prompt in making replacement in any case any person is not available on duty or found unsuitable for duty. Agency shall promptly arrange additional persons whenever required by the Spices Board.
11. The agency will be responsible for complying with payment of minimum wages and other benefits including prescribed hours of duty/leave/ holidays etc. to its employees deployed in the Spices Board as per Labour Laws in force from time to time. The agency shall ensure that their guards are covered under statutory requirements like ESI Act, Employees Provident Fund and Miscellaneous Act, comply with all labour legislation including social security, service-tax wherever applicable and such other statutory orders by Government/Municipality which may be in force from time to time.
12. The contract shall automatically expire after one year from commencement of the contract unless extended further by the Spices Board.
13. Spices Board reserves the right to terminate the contract with the agency if the performance is not satisfactory by giving a notice period of one month.
14. Spices Board will have no liability in arranging accommodation, transportation, food, medical, Insurance and any other requirements in respect of the personnel deployed to the Spices Board at any stage.
15. For all intents and purposes, the service providing agency shall be the “Employer” of the personnel deployed.
16. In case of termination of this contract on its expiry or otherwise, the personnel deployed by the agency shall not be entitled to and will have no claim for any absorption nor for any relaxation for absorption in the regular/ otherwise capacity in the Spices Board. The Contractor should make it known to the personnel deployed.
17. In case of ill health or accident of persons deployed while on duty, it is the responsibility of the agency to give proper medical attention to the persons concerned.
18. If the performance of any person is not found satisfactory, the agency shall arrange to replace such persons immediately with intimation to the undersigned.
19. The successful agency will have to execute an agreement (MOU) on a stamp paper worth Rs.200/- at their own expense.
20. The agency should ensure that required number of guards is posted in all shifts. If any of the guards is found short in any of the shift, including night shifts, payment of the guard on absence will be recovered from the bill during the period as loss and damage to the institution.

.....